

न्यायालय - भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी

दा० खा० अपील वाद सं०- 62/2019-20

प्रथम पक्ष

- संजय महतो पिता पिरु महतो
ग्राम-चिकोर, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी।

द्वितीय पक्ष

- मिखु महतो उर्फ भिखु महतो पिता बन्धु महतो
ग्राम-चिकोर, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई										
25.01.21	<p>अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०-1530R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.19 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>चिकोर</td> <td>खूँटी 93</td> <td>61</td> <td>2540</td> <td>0.04</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, तोरपा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने व सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि उक्त भूमि आर०एस० खाता नं० 61, प्लॉट नं० 2540, रकबा 78 डी० लच्छु स्वांसी वो हरक स्वांसी सभी पिता सुखदास स्वांसी के नाम से दर्ज है। सनिका स्वांसी, हराधन स्वांसी एवं करमी स्वांसी आर०एस० खतियानदार के वारिस थे। उक्त खाता के एक हिस्सेदार करमी स्वांसी रकबा 78 डी० मधे 04 डी० भूमि की बिक्री मिखु महतो उर्फ भिखु महतो पिता बन्धु महतो ग्राम-चिकोर, थाना-खूँटी को दिनांक 04.11.1968 को बिक्री केवाला पट्टा से कर दिया। भिखु महतो ने उक्त भूमि को बहुरा देवी पति पिरु महतो ग्राम चिकोर, थाना खूँटी को बिक्री कर दिया। दिनांक 22.01.1996 को बहुरा देवी की मृत्यु के उपरांत उनके वारिस संजय महतो पिता पिरु महतो दखल में आये। संजय महतो पिता पिरु महतो ने उक्त भूमि को अपने नाम से नामांतरण कराने हेतु आवेदन किया।</p> <p>अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार Deed Document नहीं खुलने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया कि अंचल अधिकारी के द्वारा बिना पूर्ण प्रकि या किये ही नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अंचल अधिकारी, खूँटी को Remand करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः सभी कागजात प्राप्त करते हुए नामांतरण हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>25/01/21</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)	चिकोर	खूँटी 93	61	2540	0.04	
मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)								
चिकोर	खूँटी 93	61	2540	0.04								

25/01/21
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।